क्रम-संख्या-20

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 फरवरी, 2007
फाल्गुन 2, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 144/79-वि–1–01(क) 3-2007
लखनऊ, 21 फरवरी, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 20 फरवरी, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, की धारा 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा,—

"(ख) संस्था का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है, जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है, और इसमें राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विद्यालय सम्मिलित हैं।"

उद्देश्य और कारण

सभी सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों व संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों तथा उनके अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिये प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त संस्थाओं के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। उक्त समस्या का निदान करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 को संशोधित करके, उक्त संस्थाओं को उक्त अधिनियम की परिधि में लाया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 144/LXXIX-V-1-1(Ka) 3-2007
Dated Lucknow, February 21, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh High School Tatha Intermediate College (Adhyapakon Tatha Anya Karmchariyon Ke Vetan Ka Bhugtan) (Sansodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 20, 2007 :—

THE UTTAR PRADESH HIGH SCHOOLS AND INTERMEDIATE COLLEGES (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 3 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) (Amendment) Act, 2007. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1971. Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1971

for clause (*b*) the following clause shall be substituted,

"(*b*) "Institution" means recognized institution for the time being receiving maintenance grant from the State Government and includes a Sanskrit Mahavidayalaya or a SanskritVidyalaya receiving maintenance grant from the State Government."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The maintenance grant is being sanctioned every year to all aided Sanskrit Mahavidyalayas and Sanskrit Vidyalayas for payment of salary of teacher and other employees thereof. It has been brought to the notice of the State Government that timely payment of salary to the teachers and employees of the said institutions is not being made. In order to solve the said problem it has been decided to amend the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1971 to bring the said institutions within the ambit of said Act.

The Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 3412 राजपत्र (हि०)–(7251)–2007–597(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 251 सा० विधायी–(7252)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।